संख्या-55/2026/3032/2026/54-2002(001)/5/2026(2090376)

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊः दिनांक 23 सितम्बर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0108-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के 0-60%-रा०-40%-के०+रा0) के मानक मद 42-अन्य व्यय मद में कुल धनराशि रू0 3273.1300 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किए जाने के सम्बंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1306/बा0वि0परि0/लेखा/2026-27, दिनांक 11 सितम्बर, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 83 के लेखाशीर्षक- "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0108-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के 0-60% -रा०-40%-के०+रा०) के मानक मद 42-अन्य व्यय मद में कुल धनराशि रू0 3273.1300 लाख (रुपये बतीस करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार मात्र) की पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

(1) निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

(6) जिस मद से धनराशि सक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा ।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय-समय पर भारत सरकार / राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम / मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 3273.1300 लाख (रुपये बत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 2235-02-789-0108 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.60 रा.40) के अन्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय मद में भुगतान के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित संख्या-आर०ई० संख्या-बजट-1-107, दिनाँक 21.09.2026 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : बी0एम0-9 (भाग-1) ।

भवदीय,

(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव ।

संख्या-55/2026/3032(1)/2026/54-2002(001)/5/2026 (2090376), तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A054-20262027-54-2002-001-5-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0108-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के0-60%/रा0-40%-के.+रा.) के मानक मद 42 अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2235027890101 (पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार(के.50/रा.50-के.))	42 (अन्य व्यय)	10,45,59,25,000 रुपये दस अरब पैंतालीस करोड़ उनसठ लाख पच्चीस हजार मात्र	8,41,97,95,000 रुपये आठ अरब इकतालीस करोड़ सतानबे लाख पंचानबे हजार मात्र	32,73,13,750 रुपये बत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार सात सौ पचास मात्र	3273 13000	101286 12000	2026-2027

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	2235027890108 (प्रधानमंत्री मातृ	42	32,66,68,000 रुपये बत्तीस	32,73,13, 750 रुपये बत्तीस करोड़ तिहत्तर	3273 13000	653981000	2026-

(रू० बत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार मात्र)

083	वंदना योजना के 60 रा 40)	(अन्य व्यय)	करोड़ छियासठ लाख अड़सठ हजार मात्र	लाख तेरह हजार सात सौ पचास मात्र	-	-	2027

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

योजनान्तर्गत प्रथम त्रैमास में केन्द्रांश अवमुक्त न होने के कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

GoI के पत्र संख्या पी0एम0-11/1/2026-पी0एम0एम0वी0वाई0 , दिनांक 24.08.2026 द्वारा केन्द्राश अवमुक्त होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई- -2026-27, दिनांक- सितंबर, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

Digitally signed by
AVNEESH KUMAR SINGH
Date: 17-09-2026 11:30:01

अवनीश कुमार सिंह

अनु सचिव

Digitally signed by
ARUN KUMAR
Date: 18-09-2026 18:17:50

अरुण कुमार

अनु सचिव

संख्या : / , दिनांक- सितंबर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
9. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

अवनीश कुमार सिंह,
अनु सचिव